

प्रेषक

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक : 07 दिसम्बर, 2018

विषय- वाहन भत्ता की दर का पुनरीक्षण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-जी-2-408/दस-2012-626-2000, दिनांक 16 नवम्बर, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा सरकारी सेवकों को अपने विभिन्न प्रकार के वाहनों को सन्तोषजनक एवं चालू स्थिति में रखते हुए सरकारी कार्य के हित में मुख्यतः पर की जानी वाली यात्राओं में उपयोग करने हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-82 के अधीन अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का निर्धारण किया गया था। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 16 नवम्बर, 2012 द्वारा साईकिल हेतु अनुमन्य वाहन भत्ता की दर निम्नवत पुनरीक्षित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	वाहन का नाम	वाहन भत्ता की वर्तमान दर (रूपया प्रतिमाह)	वाहन भत्ता की पुनरीक्षित दर (रूपया प्रतिमाह)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	साईकिल	100	200

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अन्य वाहनों के लिये अनुमन्य वाहन भत्ते की दरें यथावत रहेगी तथा इनकी अनुमन्यता के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-82 तथा समय-समय पर निर्गत किये गये पूर्व के शासनादेशों की शर्तें यथावत लागू रहेंगी किन्तु साईकिल के लिये वाहन भत्ता की अनुमन्यता हेतु सम्बन्धित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

सरकारी सेवक द्वारा सार्ईकिल को सन्तोषजनक स्थिति में रखे जाने की शर्त समाप्त की जाती है।

3- उक्त पुनरीक्षित दर तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-8/2018/जी-2-290(1)/दस-2018-626/2000तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- I एवं II तथा (आडिट)- I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
- 7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।